

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)


सरकार ..... बनाम ..... लखन

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-13 सन्-2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भयं इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-13/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
10.01.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम कोट भूमि ख0न0 1755 रकबा 0.03 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म बरानी A पर गैरसायल लखन पुत्र रत्तीराम जाति अहीर निवासी कोट द्वारा बतीला एवं घाने डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश होने पर, दर्ज रजिस्टर कर, गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया। तथा अतिक्रमण हटाये जाने पर सहमति व्यक्त की।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.36 रूपये का 50 गुणा 18 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

रा0 ल0 सं0 4 वर्ष-2078 की  
पृ0 सं0-13-पर-18 रु क  
मांग कायम की गई

तहसील राजस्व लखाकार

  
तहसीलदार  
तहसील मण्डावर (दौसा)